

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

जस्व आवेदन सं. 230/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

## रावताराम बनाम पूनमाराम वगैरा

**पीठासीन अधिकारी -श्री वीरमाराम, आर.ए.एस**

प्रार्थीगण वकील - श्री फताराम गोदारा

विप्रार्थीगण वकील - श्री बलवन्तसिंह चौधरी, श्री प्रवीण चौधरी (विप्रार्थी सं. 6)

निर्णय

दिनांक - 05-12-2019

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा बाछड़ाऊ, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 955/491 रकबा 28.09 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त। विप्रार्थी सं. 06 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 6 के वकील की ओर से आवेदन का जवाब पेश किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा बाछड़ाऊ, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 955/491 रकबा 28.09 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरां की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

### प्रार्थीगण :-

1.रावताराम पुत्र उमेदाराम, जाति जाट  
निवासी बाछड़ाऊ,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

### विप्रार्थीगण:-

1.पूनमाराम पुत्र उमेदाराम 2.चेनाराम पुत्र किरताराम  
3.तारों पत्नि किरताराम 4.मूलाराम पुत्र चेतनराम  
5. लाछी पत्नि चेतनराम 6.आईदानराम पुत्र  
पोकराराम 7.धर्माराम पुत्र खेताराम 8.लाछी पत्नि  
खेताराम 9. रेखाराम पुत्र भारथाराम ,  
जातियान जाट, निवासी बाछड़ाऊ  
तहसील, चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 230/2018

772

दिनांक : 13.12.2019

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा बाछड़ाऊ के खेत खसरा सं. 955/491 रकबा 28.09 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2019/

773

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी रावताराम
3. विप्रार्थीगण पूनमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(वीरमाराम)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 13.12.2019

(वीरमाराम)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

